न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

139

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2636/2018/विदिशा/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 396/अपील/2017-18.

मोहम्मद तौफिक पुत्र श्री अब्दुल मजीज
निवासी लाल पंजाबी का मकान, किडी मोहल्ला,
सिरोंज, जिला विदिशा, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती फिरोज जहां व्यस्क पत्नी स्व. मोहम्मद समीम
2. आयाब व्यस्क पुत्र मोहम्मद समीम
3. कुमारी नाजिया व्यस्क पुत्री मोहम्मद समीम
4. कुमारी सीमा उर्फ शहिबा व्यस्क पुत्री मोहम्मद समीम
5. कुमारी बुसरा व्यस्क पुत्री मोहम्मद समीम
   निवासीगण युसुफ मुल्ला जी की बेल्डिंग दुकान
   के ऊपर (किरायेदार) बोरबाडी, सिरोंज, जिला विदिशा
6. अब्दुल रसीद आ. अब्दुल मजीद व्यस्क
   निवासी तलैया मोहल्ला सिरोंज
7. मोहम्मद डकबाल पुत्र अब्दुल मजीद व्यस्क
   निवासी किडी मोहल्ला, सिरोंज
8. मोहम्मद नासिर पुत्र श्री अब्दुल मजीद व्यस्क
   श्रीमती जुबेननिशा (मृत) द्वारा वारिसान
   a) ताज मोहम्मद व्यस्क पुत्र रहूफ खां
   b) केनू व्यस्क पुत्र रहूफ खां
   c) कौसर व्यस्क पुत्र रहूफ खां
   d) शीवा पुत्री रहूफ खां
   निवासीगण जैन होटल के सामने, गुनब्बरी मस्जिद,
   मकान नं. बी-10, राजीव कॉलोनी हाउस बोर्ड करोंद, भोपाल म.प्र.
9. श्रीमती खैरून निशा पुत्री अब्दुल मजीद मजीद पत्नी शहजाद मियां
   निवासी चन्द्रलोक लॉज सरवटे बस स्टैण्ड, इंदौर

10. मेहरूननिशा पुत्री अब्दुल मजीद, व्यस्क पत्नी
    शेख मोहम्मद सलीमउद्दीन पूर्व सरपंच,
    निवासी ग्राम दीराना ठिकाना,
    तहसील व जिला गुना, म.प्र.
11. नाजमा बी पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी मकसूद अली
    निवासी हबीनिया स्कूल के सामने, छिपेटी, सिरोंज, म.प्र.
12. सलमा बी पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी नबाव मियां
    निवासी खुशश्न पठान के मकान में शास्त्री कॉलोनी, इंदौर
13. शहिदा उर्फ शहिदा पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी एजाज अली चौधरी
    निवासी अण्डा गली, उज्जैन, म.प्र.
14. हमीदा पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी हमीर खां
    निवासी मकान नं. बी-18, राजीव कॉलोनी,
    हाउसिंग बोर्ड करोंद, भोपाल, म.प्र.
15. रिजवाना बी पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी हबीब एडवोकेट
    निवासी गोल्डन टेलर पत्ती बाजार महू,
    तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र.
16. रूकसाना बी पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी खिजर मोहम्मद
    निवासी मकान नं. 10 कोट मोहल्ला, उज्जैन, म.प्र.
    श्रीमती लाईका बी पत्नी अब्दुल मजीद
    निवासी किडी मोहल्ला, सिरोंज, जिला विदिशा, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 लगायत 5
श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 8

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 23/5/19 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित

दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम हतोडा तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 16.692 हैक्टेयर का बटवारा ग्राम हतोडा की नामांतरण पंजी क्रमांक 24 प्रमाणित प्रविष्टि दिनांक 30-1-12 द्वारा तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 से 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासौदा, जिला विदिशा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22-9-16 को अर्थात 14 वर्ष से अधिक समय उपरांत प्रस्तुत की गई कि वादित भूमि का कभी पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ, किंतु उनके पति मो. शमीम की मृत्यु के उपरांत उन्हें यह जानकारी हुई कि पारिवारिक भूमि का उनकी सहमति के बिना नामांतरण पंजी क्र. 24 प्रमाणीकरण दिनांक 30.01.2002 द्वारा बंटवारा किया गया है। अत: नामांतरण पंजी पर किये गये विधि विरूद्ध बंटवारे को निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 16/अपील/2016-17 दर्ज कर नामांतरण पंजी पर किये गये बंटवारे को अपने आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.04.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्कों तथा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 को तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है । मो. शमीम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त बटवारे को कभी कोई चुनौती नहीं दी गई और ना ही कोई आपत्ति की । अत: अनावेदकों का यह कहना कि बटवारे उनके पति/पिता की सहमति से नहीं हुआ था सही नहीं है । अनावेदक क्रमांक 1 फिरोज जहां उनके पति मोह0 शमीम की मृत्यु होने के उपरांत उनके नाम दर्ज भूमि पर वारिसाना नामांतरण हेतु जो आवेदन दिया गया है, वे वही सर्वे नंबर की भूमियां हैं जो मो0 शमीम को बटवारे में प्राप्त हुई थीं । इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 को नामांतरण पंजी क्रमांक 24 की जानकारी दिनांक 20.08.2007 को हो

चुकी थी, उक्त तथ्य को भी अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष छिपाया गया है तथा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 में जानकारी का जो दिनांक बताया गया है गलत है इस कारण भी पारित आदेश अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) वर्तमान अपील के पूर्व भी अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा तहसील न्यायालय की विवादित नामांतरण पंजी दिनांक 31-1-2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 146/2012-13 दिनांक 7-8-13 को प्रस्तुत की थी जो दिनांक 2-2-15 तक प्रचलित रही एवं दिनांक 2-2-15 को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिती के कारण अदम पैरवी में समाप्त की गई है । इससे स्पष्ट है कि उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं तथा येनकेन प्रकारेण आवेदक के स्वामित्व की भूमि को हडपना चाहते हैं, इस कारण उन्होंने नहीं कहानी बनाकर पुन: वर्ष 2016 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(3) स्वयं फिरोज जहां द्वारा शपथपत्र दिनांक 11.01.2010 को समक्ष गवाहान नूरूद्दीन एवं ईसुबअली के समक्ष रूपया 50,000/- प्राप्त कर उक्त कृषि आराजी से आगे अब बंटवारे आदि का हमारा कोई विवाद नहीं है, आज के बाद हमें मोहम्मद तोफीक से कुछ लेना बांकी नहीं है। हमने हमारा पूरा हक व पैसा पा लिया है, जिस पर श्रीमती फिरोज खां के पुत्र आयाज खां के भी हस्ताक्षर हैं। चूंकि उक्त शपथ पत्र आवेदक की मकानियत स्थिति लाला पंजाबी का मकान कीडी मोहल्ला सिरोज जिला विदिशा में दिनांक 11.01.2010 को एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जलकर नष्ट हो गये थे, जिसकी सूचना दिनांक 31.03.2019 को पुलिस थाना सिरोंज जिला विदिशा में दी, की मूल प्रति, शपथ पत्र फिरोज जहां की मूल प्रति एवं शपथ पत्र ईसुबअली एवं शपथ पत्र नुरूद्दीन का प्रस्तुत किया गया है।

(4) यदि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 को नामांतरण पंजी क्रमांक 24 दिनांक 30-1-02 द्वारा प्राप्त भूमि मान्य नहीं थी तो उनके द्वारा मोहम्मद शमीम जो उनके पति/पिता हैं के हिस्से में आई भूमि को किस आधार पर वर्तमान में विक्रय किया जा रहा है । यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष न्यायालय को गुमराह, न्यायालय के समक्ष

गलत तथ्य प्रस्तुत कर कपटपूर्ण ढंग से कोई सहायता प्राप्त करता है तो उक्त सहायता धोखे के आधार पर प्राप्त होने से निरस्त की जावेगी। इस संबंध में 2009 (4) एम0पी0एल0जे0 35, 1984 आर.एन. पेज 373 प्रस्तुत किया गया है।

(5) नामांतरण पंजी क्रमांक 24 दिनांक 30.01.2002 के समय श्रीमती फिरोज जहां के पति अब्दुल समीम एवं आयाज खां एवं अन्य तीन के पिता अब्दुल समीम उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में विधिवत बंटवारा नामांतरण पंजी क्र. 24 के माध्यम से दिनांक 30.01.2002 को हुआ, अब्दुल समीम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की अर्थात् अब्दुल समीम को नामांतरण पंजी क्र. 24 दिनांक 30.01.2002 के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि श्रीमती फिरोज जहां एवं अब्दुल समीम के वारिसान शपथ पत्र दिनांक 11.01.2010 के तहत रूपया 50,000/- भी प्राप्त कर चुका है और आगे कोई विवाद मोहम्मद तौफीक के विरूद्ध अर्थात् आवेदक के विरूद्ध कृषि आराजी के संबंध में नहीं करेंगे, के आधार पर कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते।

(6) आवेदक अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन करते हुए कहा कि उक्त दस्तावेज इस प्रकरण के निराकरण के लिए उचित एवं आवश्यक है क्योंकि उक्त दस्तावेज की जानकारी आवेदक को दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश के निराकरण तक उक्त दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी इसलिए आवेदक दोनों अपीलीय न्यायालयों के समक्ष दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सका । यहां तक कि निगरानी प्रस्तुति तक आवेदक को उक्त दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी दिनांक 20-8-2018 को तहसील न्यायालय के कर्मचारियों से जानकारी होने पर तत्काल आवेदक द्वारा दिनांक 21-8'18 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 23-8-2018 को नकल लेने से उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई । इस कारण उक्त दस्तावेज जो कि सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया, जिसके संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2019 (1) एम.पी.एल.जे. 316 का हवाला दिया गया । चूंकि उक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है कि संहिता की धारा 32 के तहत उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है जिसके जबाव में आवेदक द्वारा 2008(1) एम.पी.एल.जे. 522 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि न्यायालय को धारा पर धयान न देकर आवेदन की प्रार्थना पर ध्यान देना चाहिए । यदि उक्त तथ्य प्रार्थना में लिखा है तो न्यायालय स्वमेव उक्त धारा के तहत प्रार्थनापत्र मान्य कर प्रार्थनापत्र

स्वीकार करेगी । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने तथा नामांतरण पंजी क्र. 24 दिनांक 30.01.2002 को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तथा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि ग्राम हतौड़ा तहसील बासौदा जिला विदिशा स्थित प्रश्नाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज थी। अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने उक्त भूमि का नामांतरण एवं बंटवारा अवैधानिक रूप से अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 की जानकारी के बिना किया गया था। इसलिए दोनों ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(2) अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि "यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमि स्वामी हो, तो उनमें से कोई भी भूमि स्वामी उस खाते में अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।" उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि भूमि का बंटवारा करने के लिए सभी सहखातेदार को तहसील न्यायालय के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, परंतु आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बंटवारा किये जाने बावत कभी भी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप दोनों ही अपीलीय न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रभाव में आकर पंजी पर बंटवार की कार्यवाही सम्पादित की गई है। पंजी पर उल्लेखित बंटवारे पर सहमित स्वरूप सभी अनावेदकगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जबकि फर्द बंटान पर सभी खातेदारों की सहमति स्वरूप होना आवश्यक है। परिणामस्वरूप दोनों ही अपीलीय न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है।

(4) विधि का यह मान्य प्रावधान है कि मौके पर फर्द बंटान बनाये जाने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को फर्द बंटान के संबंध में नियमानुसार सूचना दिया जाना आवश्यक है, परंतु हल्का पटवारी द्वारा मौके पर फर्द बंटान की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अनावेदकगण

को फर्द बंटान बनाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से बनाई फर्द बंटान के आधार पर बंटवारे की कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप दोनों ही अपीलीय न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है।

(5) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालयों को स्वत्व का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है। स्वत्व का निर्धारण करने के लिए अधिकारिता केवल व्यवहार न्यायालय को है, परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सहखातेदार के मध्य असमान रूप से बंटवारे की कार्यवाही की गई है। इसलिए दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की गई विवादित बंटवारे की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(6) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक सम्पत्ति को प्राप्त करने का जन्म से अधिकार प्राप्त होता है तथा अपने अधिकार का उपयोग वह जीवित रहते कभी भी कर सकता है। अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि अनावेदक क्र. 2 लगायत 5 की पैतृक सम्पत्ति है। इसलिए अनावेदक क्र. 2 लगायत 5 पैतृक सम्पत्ति में से समान हिस्सा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

6/ अनावेदक क्र. 6, 7 व 9 लगायत 16 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया । जहां तक आवेदक अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन का प्रश्न है उक्त आवेदन विधिसंगत होने से तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निराकरण में सहायक होने से दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम हतोडा की नामांतरण पंजी क्रमांक 24 पर दिनांक 30-1-02 को बटवारा आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22-9-16 को 14 वर्ष से अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में जानकारी दिनांक 24-9-16 को नामांतरण पंजी की नकल लेने पर होना बताया गया है, जो विश्वसनीय नहीं होकर समाधानकारक नहीं है क्योंकि परिवार के सदस्यों को लगभग 15 वर्ष तक बटवारे की जानकारी नहीं होना मान्य योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पूर्व में दिनांक 7-8-13 को भी अपील पेश की गई थी जो दिनांक 2-2-15 तक प्रचलित रही एवं दिनांक 2-2-15 को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिती के =कारण अदम पैरवी में समाप्त की गई है । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उक्त अपील के अदम पैरवी में निरस्त होने संबंधी तथ्य को छिपाकर पुन: दिनांक 22-9-16 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करना यह दर्शाता है कि उन्हें पूर्व से बटवारा आदेश की जानकारी थी और वे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा उनके द्वारा पहले 11 वर्ष उपरांत तथा दुबारा 14 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत किया जाना अनावेदकों की बाद की सोच एवं दुर्भावना को स्पष्ट दर्शाता है ।

9/ अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 के पति/पिता अब्दुल शमीम की मृत्यु होने के उपरांत अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष जो वारिसाना नामांतरण दिनांक 20-8-07 को दिया गया है उसमें उन्होंने आ0नं0 368/1, 371/2 एवं 372 कुल रकबा 3.198 पर मोहम्मद शमीम को तन्हा मालिक भूमिस्वामी बताते हुए नामांतरण चाहा गया है और तहसीलदार ने उस पर कार्यवाही करते हुए अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में अनावेदक क्रमांक 16 रुखसाना बी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद प्र0क्र0 229/अ-12 की प्रति संलग्न है, जिसमें उन्होंने तहसील के बटवारे को चुनौती दी गई है । उक्त व्यवहार वाद में अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 प्रतिवादी क्रमांक 5 लगायत 9 के रूप में प्रतिस्थापित हैं । दिनांक 27-11-15 को उक्त व्यवहार वाद, पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से समाप्त किया गया है । इस प्रकार इस प्रकरण में यह

प्रमाणित है कि अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 को पंजी पर पारित बटवारा आदेश की जानकारी प्रारंभ से थी । मो0 शमीम द्वारा उक्त बटवारे को अपने जीवनकाल में कोई चुनौती न दी जाना यह सिद्ध करता है कि उक्त बटवारा उनकी की सहमति से हुआ था । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्प्ष्ट होता है कि अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 द्वारा मोहम्मद शमीम को बटवारे में प्राप्त भूमि पर वारिसाना नामांतरण कराने के उपरांत भूमि का विक्रय किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य है कि अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए अनावेदक क्रं. 1 लगायत 5 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील के निरस्त हो जाने के तथ्य को छिपाकर पुन: प्रस्तुत अवधि बाह्य अपील को समय-सीमा में मान्य कर, तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इस कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश 22-11-17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर